संजय कुमार एवं अन्य

बनाम

नरिंदर वर्मा एवं अन्य

(8 मई, 2006)

[बी.एन श्रीकृष्णा एवं लोकेश्वर सिंह पंटा, न्यायाधीश**]**

सेवा विधि : जम्मू और कश्मीर विद्युत विकास विभाग (अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981–जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पद पर भर्ती–पात्र अभ्यर्थी के लिए इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा डिप्लोमा में से किसी एक का धारक होना आवश्यक–नियमों में किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों को कोई वरीयता प्रदान करने का प्रावधान नहीं–उच्च न्यायालय का यह कहना कि डिग्रीधारक उच्चतर योग्यता रखते हैं, इसलिए उन्हें डिप्लोमाधारकों के समकक्ष नहीं माना जा सकता–इसकी शुद्धता–अभिनिर्धारित, कि नियमों में निर्धारित न किए गए मानदंडों के आधार पर चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना अनुचित था, विशेषकर तब जब नियमों को चुनौती नहीं दी गई थी–कार्यपालिका ने जो कार्य नियमों में प्रावधान करके करना उचित नहीं समझा, उसे न्यायिक आदेश द्वारा नहीं किया जा सकता।

राज्य के सेवा चयन भर्ती बोर्ड ने जम्मू और कश्मीर विद्युत विकास विभाग (अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के अनुसार जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पद के लिए भर्ती की। इन नियमों के अनुसार पात्र अभ्यर्थी के पास इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा में से कोई एक योग्यता होना आवश्यक था तथा किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों को कोई वरीयता देने का प्रावधान नहीं था। चयनित अभ्यर्थियों में डिग्रीधारक तथा डिप्लोमाधारक दोनों शामिल थे। कुछ असफल डिग्रीधारकों ने रिट याचिकाएँ दायर कर चयन सूची को चुनौती दी। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने यह माना कि रिट याचिकाकर्ता चयन प्रक्रिया में भाग लेकर असफल हो जाने के बाद चयन के लिए अपनाए गए मानदंडों को चुनौती देने से वंचित हो गए थे। यह भी कहा गया कि अपनाए गए मानदंड सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू किए गए थे; शैक्षणिक योग्यता के लिए 80 अंक तथा साक्षात्कार (वाइवा-वोसे) के लिए 20 अंक

निर्धारित किए गए थे, जो चयन की उचित पद्धति थी और इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। किन्तु खंडपीठ ने यह माना कि डिग्रीधारक उच्चतर योग्यता रखते हैं तथा कार्यपालिका ने पात्रता योग्यता निर्धारित करते समय उन अभ्यर्थियों की उपयुक्तता और योग्यता का मूल्यांकन करने की विधि और प्रक्रिया निर्धारित नहीं की, जिनकी योग्यता असमान या उससे अधिक हो, जिससे पद को कार्यक्षम बनाया जा सके। अतः यह कहा गया कि डिग्रीधारकों को डिप्लोमाधारकों के समकक्ष नहीं माना जा सकता और 80 अंकों का मानदंड दोनों भिन्न स्थितियों वाले वर्गों पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए उस सीमा तक चयन टिकाऊ नहीं था। अतः वर्तमान अपील दायर की गई।

अपील का निपटान करते हुए न्यायलय द्वारा

अभिनिर्धारित : रिट याचिका में नियमों को कोई चुनौती नहीं दी गई थी। अतः एकल न्यायाधीश नियमों को लागू करने तथा राज्य प्राधिकरणों द्वारा किए गए चयन प्रक्रिया को बनाए रखने में उचित थे। खंडपीठ द्वारा उन मानदंडों के आधार पर चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना पूर्णतः अनुचित था, जो नियमों में निर्धारित नहीं थे, और वह भी नियमों की गलत व्याख्या के आधार पर। उच्च न्यायालय यह देखने में असफल रहा कि नियमों ने न्यूनतम योग्यता के उद्देश्य से भर्ती के चरण में डिग्रीधारकों और डिप्लोमाधारकों के बीच कोई भेद नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, भर्ती के चरण में दोनों श्रेणियों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया था, यद्यपि भर्ती के बाद की अवधि में डिग्रीधारकों को अधिक प्रारंभिक वेतन तथा उच्च पद पर पदोन्नति के लिए कम सेवा अवधि की आवश्यकता के रूप में अधिक महत्व दिया गया था।

कोचीन विश्वविद्यालय बनाम एन. एस. कन्जूजम्मा एवं अन्य, **[1997] 4 एससीसी 426** तथा *भारतीय संघ एवं अन्य बनाम एन. चंद्रशेखरन एवं अन्य*, **[1998] 3 एससीसी 694** पर भरोसा किया गया।

उमेश चंद्र शुक्ला बनाम भारतीय संघ एवं अन्य, [1995] 3 एससीसी 721, प्रसिद्ध।

2. दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थियों के बीच पर्याप्त अंतर्निहित संतुलन बनाए रखा गया था और उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय ने नियमों के इस संतुलन को पूर्णतः बिगाड़ दिया। जो कार्य

कार्यपालिका ने नियमों में प्रावधान करके करना उचित नहीं समझा, वह न्यायिक आदेश द्वारा नहीं किया जा सकता था।

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील संख्याएँ 5430-5434/2004

दिनांक 29.5.2000 के जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू/श्रीनगर द्वारा एल.पी.ए. संख्या 185/1999, 194/99, 289/99, 290/99 तथा 626/99 में पारित निर्णय / आदेश से।

साथ में

सिविल अपील संख्याएँ 5435-5439/2004, 5440-5444/2004, 5445/2004, 5446-5450/2004 तथा 5451/2004।

वी. आर. रेड्डी, आर. एल. खुराना, राजू रामचन्द्रन, एम. एल. भाट, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुनील मुरारका, एम. सी. ढींगरा, गौरव ढींगरा, अनीस सुहरावर्दी, नरेश कौशिक, श्रीमती ललिता, कौशिक परमानंद गौर, ई. सी. अग्रवाला, महेश अग्रवाला, ऋषि अग्रवाला, श्रीमती के. शारदा देवी, पी. डी. शर्मा, पी. पी. सिंह, सुश्री पूर्णिमा भट्ट काक, जी. एम. कावूसा, एन. गणपति, तनवीर अहमद मीर, अरविंद कुमार गुप्ता, अधिवक्ता–उपस्थित पक्षकारों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इस प्रकार दिया गया:

श्रीकृष्णा, न्यायमूर्ति: अपीलों का यह समूह समान तथ्यों के आधार पर तथा जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उसी विवादित निर्णय से उत्पन्न हुआ है। अतः इन सभी अपीलों का निर्णय एक ही सामान्य निर्णय द्वारा करना उपयुक्त होगा।

12.6.1997 को जम्मू और कश्मीर सरकार के विद्युत विकास विभाग ने एक अधिसूचना द्वारा जम्मू और कश्मीर विद्युत विकास विभाग (अधीनस्थ) सेवा भर्ती नियम, 1981 (जिसे आगे "नियम" कहा गया है) में संशोधन किया। संशोधन इस प्रकार था :

"(क) अनुसूची-II (कार्यपालिका) के भाग 'क' में, वर्ग-I के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'I' 'A' जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) ग्रेड-I (चयन श्रेणी) वेतनमान 2125-3600		100% पदोन्नति द्वारा श्रेणी 'B' से, बशर्ते कि:– (a) डिग्रीधारक के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। (b) डिग्रीधारक के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए।
'B' जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), ग्रेड-II वेतनमान 1400-2300	इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री या इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा	(a) 85% प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा; तथा (b) 15% पदोन्नति द्वारा, मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा रखने वाले ऐसे डिप्लोमाधारकों में से, जिनके पास श्रेणी 'A' के वर्ग-III पद में कम से कम 5 वर्ष की सेवा हो।

B. अनुसूची के भाग (A) के अंत में टिप्पणी (2) के बाद निम्नलिखित टिप्पणियाँ जोड़ी जाएँगी:

3. वर्तमान जूनियर इंजीनियर (डिग्रीधारक), जिनका वेतनमान 2000-3400 (संशोधित) है, वे सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल) के पद पर पदोन्नत होने तक अपना वही वेतनमान बनाए रखेंगे। उनकी पदोन्नति के कारण रिक्त होने वाले पद स्वतः (sic) जूनियर इंजीनियर ग्रेड-II के वेतनमान में परिवर्तित हो जाएँगे।

4. इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिग्री धारकों को, जूनियर इंजीनियर ग्रेड-II के रूप में नियुक्ति के समय, ₹1400-2300 के वेतनमान में ₹1720 प्रतिमाह से उच्च प्रारंभिक वेतन दिया जाएगा।

5. जिन डिप्लोमा धारकों ने AMIE (सेक्शन 'A' एवं 'B') की योग्यता प्राप्त कर ली है, उन्हें भी जूनियर इंजीनियर ग्रेड-II के रूप में नियुक्ति पर ₹1720 प्रतिमाह का उच्च प्रारंभिक वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा।

6. इसी प्रकार, कोई डिप्लोमा धारक जो जूनियर इंजीनियर ग्रेड-II के रूप में कार्य कर रहा हो और जिसका वेतन ₹1720 प्रतिमाह से कम स्तर पर हो, वह AMIE (सेक्शन 'A' एवं 'B') की योग्यता प्राप्त करने पर अपने वेतन को ₹1720 प्रतिमाह के स्तर पर पुनर्निर्धारित कराने का अधिकारी होगा।

संशोधित नियमों के अनुसार जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पद के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी के पास इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में या तो डिग्री या डिप्लोमा होना आवश्यक है। नियमों में किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए किसी प्रकार के वरीयता (प्राथमिकता) प्रावधान का उल्लेख नहीं है। पावर डेवलपमेंट विभाग ने जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) ग्रेड-II के चयन के लिए सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड (जिसे आगे "बोर्ड" कहा गया है) को अधियाचन भेजा। बोर्ड द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में पावर डेवलपमेंट विभाग ने 19.9.1997 को स्पष्ट किया कि जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक) के रूप में प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से डिप्लोमा धारकों या डिग्री धारकों के लिए किसी कोटा निर्धारित करने की कोई आवश्यकता या औचित्य नहीं है। यह भी स्पष्ट किया गया कि जूनियर इंजीनियरों का चयन पूर्णतः योग्यता (मेरिट) के आधार पर होना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि भिन्न-भिन्न शैक्षणिक योग्यताओं वाले अभ्यर्थियों के बीच मेरिट निर्धारण की पद्धति सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड (SSRB) द्वारा तय की जानी चाहिए, जिसके पास ये पद भेजे गए हैं।"

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) ग्रेड-II के पद के लिए ₹1400-2300 (पूर्व संशोधित) वेतनमान में आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया गया। उक्त पद के लिए निर्धारित योग्यता विज्ञापन में इस प्रकार बताई गई थी – "BE/AMIE (A & B) इंडिया / इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।" निर्धारित योग्यता के अनुसार डिप्लोमा या डिग्री रखने

वाले अनेक अभ्यर्थियों ने इस पद के लिए आवेदन किया। उन्हें चयन हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। आवेदन करने वाले 2229 अभ्यर्थियों में से लगभग 300 का चयन किया गया और उन्हें चयन सूची में रखा गया, जबकि कुछ अन्य अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया। चयन प्रक्रिया का परिणाम 25 दिसंबर 1998 को प्रकाशित किया गया। चयनित अभ्यर्थियों ने वर्ष 1999 में किसी समय अपनी सेवाएँ ग्रहण कीं। चयनित 300 अभ्यर्थियों में से 153 डिग्री धारक थे और 147 डिप्लोमा धारक थे। कुछ असफल डिग्री धारकों ने रिट याचिकाएँ दायर कर चयन सूची को चुनौती दी। रिट याचिकाओं की सुनवाई करने वाले माननीय एकल न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया कि चयन प्रक्रिया में भाग लेकर असफल होने के बाद याचिकाकर्ता चयन के लिए अपनाए गए मापदंडों को चुनौती देने से वंचित हो गए हैं। माननीय एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अपनाए गए मापदंड सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू किए गए थे; शैक्षणिक योग्यता के लिए 80 अंक तथा मौखिक परीक्षा (वाइवा वॉसे) के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए थे, जो चयन की एक उचित पद्धति थी और इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती थी। इन परिस्थितियों में, दिनांक 30.4.1999 के निर्णय द्वारा माननीय एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।

रिट याचिकाओं को खारिज किए जाने के विरुद्ध कई लेटर्स पेटेंट अपीलें दायर की गईं। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने संयुक्त विवादित निर्णय द्वारा माननीय एकल न्यायाधीश के निर्णय को निरस्त कर दिया, लेटर्स पेटेंट अपीलों को स्वीकार कर लिया तथा चयन के लिए मापदंडों को पुनः निर्धारित करने और उन पुनर्निर्धारित मापदंडों के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। इससे असंतुष्ट होकर वर्तमान अपीलें दायर की गई हैं। इनमें से कुछ अपीलें चयनित अभ्यर्थियों द्वारा, कुछ अपीलें अचयनित अभ्यर्थियों द्वारा और कुछ अपीलें चयन बोर्ड द्वारा दायर की गई हैं।

खंडपीठ ने यह अवलोकन किया कि "डिग्री धारक उच्चतर योग्यता रखते हैं और कार्यपालिका ने पात्रता निर्धारित करते समय उन अभ्यर्थियों की उपयुक्तता एवं योग्यता का आकलन करने की विधि और प्रक्रिया निर्धारित नहीं की है, जिनकी शैक्षणिक योग्यताएँ असमान या उच्चतर हैं, ताकि पद को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके। अतः डिग्री धारकों को डिप्लोमा धारकों के समकक्ष नहीं माना जा सकता। 80% अंकों का मानदंड दोनों भिन्न परिस्थितियों वाले वर्गों पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए उस सीमा तक किया गया चयन बनाए नहीं

रखा जा सकता और माननीय एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से, लेटर्स पेटेंट अपीलों को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिए।"

I. पात्रता योग्यता के लिए 80 अंक निर्धारित करने तथा इन अंकों को डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रमों में प्राप्त अंकों के अनुपात में समान रूप से लागू कर डिग्री धारकों की योग्यता और उपयुक्तता का डिप्लोमा धारकों की तुलना में आकलन करने का जो मानदंड बनाया गया था, उसे निरस्त किया जाता है।

II. वाइवा-वोसे (मौखिक परीक्षा) के लिए निर्धारित 20 अंक यथावत रखे जाते हैं। वाइवा-वोसे परीक्षा तथा उसके परिणामस्वरूप चयन समिति द्वारा दिए गए अंक भी यथावत रहेंगे।

III. बोर्ड पात्रता योग्यता के लिए निर्धारित 80 अंकों के भीतर मानदंडों को पुनः निर्धारित करेगा, जिसमें डिग्री की उच्चतर योग्यता को उचित महत्व दिया जाएगा।

IV. बोर्ड पुनः निर्धारित मानदंडों के अनुसार अभ्यर्थियों का पुनर्मूल्यांकन करेगा, उनकी योग्यता और उपयुक्तता का निर्धारण करेगा तथा 31 अगस्त 2000 से पहले चयन सूची जारी करेगा।

इन अपीलों में डिप्लोमा धारक-अपीलकर्ताओं की शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय ने चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर तथा राज्य को डिग्री धारकों को अधिक वेटेज (अधिक महत्व) देने का निर्देश देकर पूर्णतः अनुचित कार्य किया है, जबकि नियमों के अंतर्गत डिग्री धारकों को ऐसा कोई अतिरिक्त वेटेज प्रदान नहीं किया गया है। अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह इंगित किया कि जिन नियमों के आधार पर प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, उन्हें रिट याचिकाओं में कभी चुनौती नहीं दी गई थी। उनका तर्क था कि जब नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है, तब उच्च न्यायालय के लिए यह उचित नहीं था कि वह नियमों की अनदेखी करे और ऐसा मानदंड लागू करे जिसकी कल्पना भी लागू नियमों में नहीं की गई है।

हमारा ध्यान संशोधित नियमों की ओर आकर्षित किया गया, जो प्रत्यक्ष भर्ती के चरण में डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों के बीच कोई भेद नहीं करते। किंतु पदोन्नति के चरण में

ऐसा भेद बनाए रखा गया है। जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) ग्रेड-I का पद एक पदोन्नति का पद है, जिसे केवल जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) ग्रेड-II की श्रेणी से पदोन्नति द्वारा भरा जाना है। जबकि इस अधीनस्थ श्रेणी में नियुक्ति के लिए डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों–दोनों के लिए समान रूप से अवसर उपलब्ध था और उनमें कोई भेद नहीं किया गया था। किन्तु उच्च पद जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) ग्रेड-I पर पदोन्नति के लिए डिग्री धारकों को केवल न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा की आवश्यकता होती है, जबकि डिप्लोमा धारकों के लिए कम से कम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, नियमों में यह भी अंतर किया गया है कि जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) ग्रेड-II के रूप में भर्ती होने पर डिग्री धारकों को वेतनमान में उच्च प्रारंभिक वेतन दिया जाता है। अतः अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि जहाँ कार्यपालिका ने डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों के बीच अंतर करना आवश्यक समझा, वहाँ नियम उसी प्रकार बनाए गए हैं। नियमों के अनुसार डिग्री धारकों को उच्च वेटेज उच्च प्रारंभिक वेतन और उच्च श्रेणी में पदोन्नति के समय उपलब्ध था। किन्तु जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) ग्रेड-II के निम्न पद पर प्रत्यक्ष भर्ती के समय नियमों में इस प्रकार का कोई अंतर या अतिरिक्त वेटेज प्रदान नहीं किया गया था। इसलिए अपीलकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा नियमों से भिन्न होकर डिग्री धारकों के पक्ष में अधिक वेटेज का अपना मानदंड निर्धारित करना उचित नहीं था।

माननीय अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि जब नियम कार्यपालिका द्वारा अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए बनाए गए थे (और जिनको रिट याचिकाओं में चुनौती भी नहीं दी गई थी), तब उच्च न्यायालय के लिए उनसे विचलित होना उचित नहीं था। यह भी कहा गया कि नियमों में पहले से ही डिग्री धारकों के पक्ष में अधिक वेटेज का एक अंतर्निहित प्रावधान है, जैसा कि पहले बताया गया है। यदि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उन्हें और अधिक वेटेज दिया जाए, तो डिप्लोमा धारक पूरी तरह प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे। उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार का अतिरिक्त वेटेज देना अन्यायपूर्ण और असमानतापूर्ण होगा।

डिप्लोमा धारकों की इस दलील का समर्थन सिविल अपील संख्याएँ 5446-5450/2004 में बोर्ड की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने भी किया। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि नियमों को

किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए उच्च न्यायालय के लिए नियमों से हटकर कोई अलग मानदंड निर्धारित करना स्वीकार्य नहीं था।

अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में इस न्यायालय के निर्णय *कोचीन विश्वविद्यालय बनाम एन. एस. कन्जूजम्मा एवं अन्य*, [1997] 4 एससीसी 426 पर भी भरोसा किया। उनका कहना था कि जब संबंधित नियमों को चुनौती नहीं दी गई हो और अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में भाग लेकर असफल हो जाएँ, तो ऐसे अभ्यर्थी बाद में चयन की प्रक्रिया को चुनौती देने से वंचित हो जाते हैं। इस निर्णय पर किया गया यह भरोसा उचित प्रतीत होता है।

उसी सिद्धांत के समर्थन में हमारा ध्यान इस न्यायालय द्वारा *भारतीय संघ एवं अन्य बनाम एन. चंद्रशेखरन एवं अन्य*, [1998] 3 एससीसी 694 (पैरा 13) में किए गए अवलोकनों की ओर भी आकर्षित किया गया।

सिविल अपील संख्याएँ 5430-5434/2004 में तृतीय प्रतिवादी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजू रामचन्द्रन ने यह तर्क दिया कि खंडपीठ के समक्ष चुनौती के आधारों में से एक यह था कि वैधानिक योग्यता भेदभावपूर्ण थी। इसलिए उनका कहना था कि उक्त तर्क के मद्देनज़र उच्च न्यायालय के लिए आपत्तिजनक नियम को निरस्त करने के स्थान पर उसका सीमित अर्थ करना संभव था। किन्तु जिस आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए विवादित निर्णय के संबंधित भाग को पढ़ने पर हमें यह संतोष नहीं हुआ कि ऐसा कोई तर्क वास्तव में प्रस्तुत किया गया था। यह विवादित नहीं है कि रिट याचिकाएँ लागू नियमों को चुनौती देने के उद्देश्य से दायर नहीं की गई थीं। केवल इस कारण कि लेटर्स पेटेंट अपील में यह तर्क दिया गया कि नियम भेदभावपूर्ण हैं, उच्च न्यायालय के लिए नियमों को निरस्त करना संभव नहीं था। लेटर्स पेटेंट अपीलों की सुनवाई केवल रिट याचिकाओं और माननीय एकल न्यायाधीश के उस निर्णय के आधार पर ही की जा सकती थी, जिसे चुनौती दी जा रही थी। चूँकि नियमों को कोई ठोस चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए न तो नियमों को निरस्त करने का प्रश्न उठता था और न ही उन्हें सीमित अर्थ में व्याख्यायित करने की कोई स्थिति उत्पन्न होती थी। श्री राजू रामचन्द्रन द्वारा इस न्यायालय के निर्णय उमेश चंद्र शुक्ला बनाम भारतीय संघ एवं अन्य, [1995] 3 एससीसी

721 पर रखा गया भरोसा भी सहायक नहीं है। वह एक भिन्न स्थिति थी, जहाँ इस न्यायालय का मत था कि लागू नियमों का पालन नहीं किया गया था, क्योंकि अंतिम चयन सूची में अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करने की शक्ति का प्रयोग किया गया था, जो लागू नियमों के नियम 18 से उत्पन्न नहीं होती थी। वर्तमान मामले में ऐसी स्थिति नहीं है और इसलिए उक्त निर्णय हमारे लिए सहायक नहीं है।

सिविल अपील संख्या 5451/2004 में चयनित डिग्रीधारक अभ्यर्थियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री कौशिक का तर्क भी मूलतः श्री रामचन्द्रन के तर्क के समान ही है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सिविल अपील संख्या 5451/2004 में अपीलकर्ताओं में से एक दिव्यांग व्यक्ति है, जिसे जम्मू और कश्मीर दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1998 (जिसे आगे "1998 अधिनियम" कहा गया है) के प्रावधानों के अंतर्गत उसका अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए उनका तर्क था कि वह अपीलकर्ता, जिसे नियुक्त किया जा चुका है और जो वर्ष 2002 से सेवा में निरंतर कार्यरत है, उसे पद से हटाया नहीं जाना चाहिए। हम इस विषय पर कोई मत व्यक्त नहीं करते। यदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि वह अपीलकर्ता 1998 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति का अधिकारी दिव्यांग व्यक्ति है, तो उसकी सेवा में व्यवधान नहीं डाला जाना चाहिए।

सिविल अपील संख्याएँ 5435-5439/2004 के प्रतिवादियों तथा वे हस्तक्षेपकर्ता, जो उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय द्वारा निर्धारित नए मानदंडों के परिणामस्वरूप अब चयन सूची में सम्मिलित हो गए हैं, ने यह तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में राज्य द्वारा बनाए गए नए मानदंड अधिक परिष्कृत हैं और नियमों के अंतर्गत पहले से विद्यमान मानदंडों की अपेक्षा योग्यता का बेहतर मूल्यांकन करने में सक्षम हैं। यह भी कहा गया कि चूँकि नए मानदंड अधिक युक्तिसंगत हैं, इसलिए इस न्यायालय को उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने से विरत रहना चाहिए। प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने यह भी दावा किया कि चूँकि अभ्यर्थियों की जाँच और चयन पहले ही नए मानदंडों के अनुसार किया जा चुका है, इसलिए हमें उनके सेवा में बने रहने का निर्देश देना चाहिए।

निष्कर्ष:

सिविल अपील संख्याएँ 5430-5434/2004, 5435-5439/2004, 5440-5444/2004, 5446-5450/2004 तथा 5451/2004:

दोनों पक्षों के विभिन्न प्रतिद्वंद्वी पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात् हम इस मत के हैं कि उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है। जैसा कि पहले ही कहा गया है, रिट याचिका में नियमों को कोई चुनौती नहीं दी गई थी। अतः माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा नियमों को लागू करना तथा राज्य प्राधिकरणों द्वारा की गई चयन प्रक्रिया को बनाए रखना उचित था। खंडपीठ द्वारा चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना पूर्णतः अनुचित था, क्योंकि उसने ऐसे मानदंडों के आधार पर हस्तक्षेप किया जो नियमों में निर्धारित ही नहीं थे और वह भी नियमों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या के आधार पर। उच्च न्यायालय यह देखने में असफल रहा कि भर्ती के चरण में न्यूनतम योग्यता के उद्देश्य से नियमों ने डिग्रीधारकों और डिप्लोमाधारकों के बीच किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, भर्ती के चरण में दोनों श्रेणियों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया था, किन्तु भर्ती के पश्चात् की अवधि में डिग्रीधारकों को अधिक महत्व दिया गया था, जैसे कि उच्च प्रारंभिक वेतन तथा उच्च पद पर पदोन्नति के लिए कम सेवा अवधि की आवश्यकता। हम अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत इस तर्क से सहमत हैं कि दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थियों के बीच पर्याप्त अंतर्निहित संतुलन बनाए रखा गया था और उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय ने इस संतुलन को पूर्णतः बिगाड़ दिया है। जो कार्य कार्यपालिका ने नियमों में प्रावधान करके करना उचित नहीं समझा, वह न्यायिक आदेश द्वारा नहीं किया जा सकता था।

फलस्वरूप, अपीलें स्वीकार की जाती हैं और उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय को निरस्त किया जाता है तथा रिट याचिकाओं को खारिज करने वाला माननीय एकल न्यायाधीश का निर्णय यथावत् रखा जाता है।

सिविल अपील संख्या 5445/2004:

फलस्वरूप, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना याचिका संख्याएँ 150, 152, 159 और 160, वर्ष 2001 में पारित निर्णय से उत्पन्न यह अपील खारिज की जाती है।

व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

वी.एस. अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|